रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11042026-271746
CG-DL-E-11042026-271746

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1786] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2026/चैत्र 20, 1948
No. 1786] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2026/CHAITRA 20, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2026

सं. 66 /2025-26

विषय: आरओडीटीईपी दरों की पुनर्स्थापना के संबंध में।

का.आ. 1855(अ).— समय-समय पर यथासंशोधित, विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम में निम्नलिखित संशोधनों को अधिसूचित करती है:

2. **आरओडीटीईपी दरों की पुनर्स्थापना:**

दिनांक **22.02.2026** को लागू परिशिष्ट 4द और परिशिष्ट 4दङ में निर्दिष्ट आरओडीटीईपी दरें और मूल्य सीमाएं, एतद्वारा सभी पात्र निर्यात उत्पादों के लिए **दिनांक 23.03.2026 से पुनर्स्थापित** की जाती हैं।

3. **प्रतिस्थापन:**

यह अधिसूचना, पूर्व की **अधिसूचना संख्या 60/2025-26 दिनांक** 23.02.2026 और **दिनांक 24.02.2026 के शुद्धिपत्र** को प्रतिस्थापित करती है, सिवाय ऐसे बिन्दुओं के जो इस तरह के प्रतिस्थापन से पहले शामिल किए गए या किए जाने से छूट गए।

इस अधिसूचना का प्रभाव:

आरओडीटीईपी लाभ दिनांक **22.02.2026** को लागू दरों और मूल्य सीमा पर उपलब्ध होंगे, जिससे अधिसूचना संख्या 60/2025-26 दिनांक 23.02.2026 के माध्यम से अधिसूचित 50% के पूर्व के प्रतिबंध वापस ले लिए जाएंगे।

इसे माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/94/180/003/एएम26/पीसी-4]

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2026

No. 66 /2025–26

Subject: Restoration of RoDTEP rates – reg.

S.O. 1855(E).— In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby notifies the followingamendments in the Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) Scheme:

2. **Restoration of RoDTEP rates:**

The RoDTEP rates and value caps as specified in Appendix 4R and Appendix 4RE, as applicable on **22.02.2026**, are hereby **restored with effectfrom 23.03.2026**for all eligible export products.

3. **Supersession:**

This notification supersedes **Notification No. 60/2025–26 dated 23.02.2026** and the **Corrigendum dated 24.02.2026**, except as respects things done or omitted to be done before such supersession.

Effect of this Notification:

RoDTEP benefits shall be available at the rates and value caps as applicable on **22.02.2026**, thereby withdrawing the earlier restriction of 50% notified vide Notification No. 60/2025–26 dated 23.02.2026.

This is issued with the approval of the Hon'ble Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/94/180/003/AM26/PC-4]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA